पत्र संख्या-सी0/ए0एस0-50-53/2014-पार्ट 8140 **/जे0**

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

आयुक्त के सचिव,
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक- 19 **,दिसम्बर, 2015**

विषय:- **सभी परामर्श एवं पत्राचार को गोपनीय रखने के संबंध में।**

--------x--------

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सा0-44-111/15/7333, मुज0/दिनांक-04.11.2015 द्वारा की गयी पृच्छा के प्रसंग में निर्देशानुसार सूचित करना है कि

1. **Bihar Practice & Procedure Manual एक अधिनियम के समान प्रभावी है?**

Bihar Practice & Procedure Manual अधिनियम नहीं है। यह एक Manual है। फलत: यह अधिनियम के समान प्रभावी नहीं होगा।

2. **चुंकी Bihar Practice & Procedure Manual पुराना है और आर0टी0आई0 एक्ट उसके बाद का ऐसी स्थिति में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में कौन प्रभावी होगा?**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक अधिनियम है तथा उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान Bihar Practice & Procedure Manual पर भी लागू होंगे।

3. **आर0टी0आई0 एक्ट के तहत जिन विषयों पर सूचना देने में छूट है, क्या उसमें यह विषय भी सम्मिलित है/या माना जा सकता है?**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में सूचना के प्रकट किये जाने से छूट का प्रावधान है। Bihar Practice & Procedure Manual में जिस विषय को गोपनीयता की श्रेणी में रखा गया है उस विषय की सूचना के प्रकट किये जाना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1)(घ) के अन्तर्गत छूट की श्रेणी में आयेगा।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

विश्वासभाजन

29/12/15

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक सं0-सी0/ए0एस0-50-53/2014-पार्ट 8140 **/जे0, दिनांक** 29-12-15

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि विधि विभाग के वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दे।

29/12/15

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।